(24)

राजस्थान सरकार
गृह (कार्यालय मुख्य सतर्कता आयुक्त) विभाग

क्रमांकः प.60(1)सीवीसी/2003 जयपुर, दिनांक 28 अप्रेल, 2004

समस्त प्रमुख शासन सचिव,
समस्त शासन सचिव,

—: परिपत्र :—

विषय एं.सी.बी. प्रकरणों में सक्षम अधिकारी द्वारा अभियोजन स्वीकृति नही दिये जाने वाले मामलों में मुख्य सतर्कता आयुक्त को भेजी जाने वाली रिपोर्ट के संबंध में ।

प्रायः यह देखा गया है कि प्रशासनिक विभागों के द्वारा प्रमुख शासन सचिवों/सचिवों द्वारा अभियोजन स्वीकृति नही देने की रिपोर्ट की पृष्टि हेतु जो पत्रावलियां मुख्य सतर्कता आयुक्त को भिजवाई जाती है उन पत्रावली के साथ संबंधित विभाग पूर्व के निर्णित प्रकरणों की पत्रावली पर ही नवीन प्रकरण भी मुख्य सतर्कता आयुक्त को प्रेषित कर दिया जाता हैं, जिससे प्रकरण के परीक्षण में कठिनाई आती है ।

अतः निर्देशित किया जाता है कि प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों के प्रत्येक मामले की पत्रावली संबंधित प्रत्येक केस की एफ.आई.आर. के संबंध में अलग पत्रावली बनाई जाकर प्रकरण के समस्त तथ्यों के साथ जैसे कि एफ.आई.आर., ए.सी.बी. की रिपोर्ट एफ.एस.एल की रिपोर्ट, आरोपित का अभ्यावेदन तथा अन्य सुसंगत अभिलेख मुख्य सतर्कता आयुक्त को प्रस्तुत की जावें, ताकि प्रकरण के परीक्षण में सुविधा रहे । ऐसे प्रकरणों की पत्रावलियां यदि कभी किसी न्यायालय द्वारा भी तलब कर ली जावे तो, उस स्थिति में अलग पत्रावली को विभाग से न्यायालय में भेजने में सुविधाजनक होगा । अभियोजन स्वीकृति नहीं दिये जाने के मामले में आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कर ए.सी.बी. को भेजते समय उसकी प्रतिलिपि मुख्य सतर्कता आयुक्त को भी भेजा जाना सुनिश्चित करें ।

27/4/2004
(सुरेन्द्र कुमार)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह एवं पदेन
मुख्य सतर्कता आयुक्त